EAST CENTRAL RAILWAY
YELLOW BULLETIN
(September -2024, ISSUE NO. 75)

Contains Irregularities/Deficiencies noticed during HQr inspections: -

1	In most of the cases when T-369(3b) was issued, it was found that SMs are not writing, the name of signal in block letters, not mentioning stations name in full and not singing in full on the authority at PNC.
2	System map installed in panel room is not matching with panel diagram. Similar is the position of system map for 25kv AC traction in panel room at PNC.
3	Shunting Order found not signed by the person supervising the shunting/Porter in some of the cases including the recent case at PNC.
4	Notice Board in SM panel room was displaying old references in regard to Station and Correction Slips of Rule books at PNC.
5	At PNC, last Operating Officer inspected Station on 14.12.23 against the instructions of Minimum two inspections by Divisional Operating Officers in each year.
6	During Shunting at MFP, Shunting Order is not given in general and Walkie-talkie set is not provided to Shunter/Shuntman as not available, for communication with PF SM and others, in case of any requirement.
7	No Hand Signal Flag/Hand Signal Lamp is used by Shunting staff during yard shunting at MFP as observed, though frequent shunting is being carried out on regular basis.
8	It was noted that fire extinguishers were lying on the ground in RRI building at MFP station which should be hanged at suitable place for its proper effectiveness during use.
9	At LC No 71/C/T/PNC Yard, Condition of Road surface is very bad and there are chances of delayed clearance of traffic from LC as also the Road approach is diagonal from main road of North side.
10	Both sides Railway Act Board was not available and Retro reflective strips on both ends Stop Board on booms were found missing at LC No 71/C/T/PNC.
11	AT MDHA station, FCT phone is provided but is defective from last 15 days.
12	At SKTN, SWR was signed by 03 officers, Dy.CSTE/C/CPU, DOM/DHN and DSTE/DHN on English copy but only 02 officers, DOM/DHN and DSTE/DHN signed on Hindi version pages against the instructions of signing SWR by Sr DOM/Sr DSTE.
13	At KRLR station, Staff categorization is not being done properly.
14	PCP set and E. L. Box was not available in B/Van of 13225 JYG- DNR Express on 27.09.2024. PCP set, Ladder, First aid box, Arm Band and E. L. Box was not available in Brake Van of 15549 on 06.09.2024.
15	During foot plate of 12352 RJPB-HWH express on 26.09.2024, it was found that 03 Coaches are out of PF at KOO station having its scheduled stoppage.

SPECIAL ATTENTION TO BE PAID: -

1. Ensure that staff deployed to work as Gateman has under gone proper training and holds a valid Competency certificate. (SR 16.01)
2. Ensure that communication equipment with Gateman and Station Master is in working order and exchange of private number is being done and recorded as per stipulations made in SWR.
3. Ensure that as long as the Gate is kept open to road traffic, a red flag by day and red light by night to be displayed towards the approaching trains on either side of level crossing as per SWR provisions.
4. Ensure that the train is stopped clear of the fouling mark at stations (GR&SR 4.56).

"Divisions are advised to ensure immediate circulation (in yellow colour printout) to all concerned for initiating action and compliance of the above irregularities/anomalies/Special Attention and report to be sent to this office for onward action."

BINAY KUMAR DAS
Digitally signed by BINAY KUMAR DAS
Date: 2024.10.08 13:28:18 +05'30'

(B. K. Das)
COM/G/ECR

No.ECR/OPTG. Safety/Yellow Bulletin/87/505 Dated -08.10.2024.

Copy to:
1. PCOM & PCSO- for kind information please.
2. DRM- DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ - for information please.
3. Sr.DOM -DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ for information & necessary action please.
4. ZRTI MFP & BHULI for information please.

पूर्व मध्य रेल
येलो बुलेटिन
(सितम्बर- 2024 अंक सं-.75)

मुख्यालय द्वारा किए गये निरीक्षण के दौरान पाए गए कमियों/अनियमितताओं को समाहित करते हुए:-

1	पटना साहेब स्टेशन पर,स्टेशन मास्टर के द्वारा जारी किए गए टी-369(3बी) के अधिकांश मामलों में यह पाया गया कि सिग्नल का नाम बड़े अक्षरों , स्टेशनों का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर पूरे अक्षरों में नहीं पाय गए।
2	पटना साहेब स्टेशन के पैनल रूम में लगा सिस्टम मैप पैनल डायग्राम से मेल नहीं खाता है। साथ ही 25 केवी एसी ट्रैक्शन संचलन मानचित्र जो लगा था वह भी पैनल मानचित्र से मेल नहीं खा रहा था।
3	पटना साहेब स्टेशन पर शंटिंग आदेश के कुछ मामलों में साथ ही हाल के मामले में , शंटिंग को सुपरवाइज़ करने वाले व्यक्ति/ पोर्टर द्वारा शंटिंग आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था।
4	पटना साहेब स्टेशन पर स्टेशन मास्टर पैनल रूम में नोटिस बोर्ड पर स्टेशन और नियम पुस्तिकाओं की सुधार पर्चियों के संबंध में पुराने संदर्भ को प्रदर्शित किया जा रहा था।
5	प्रत्येक वर्ष में मण्डल परिचालन अधिकारियों द्वारा न्यूनतम दो निरीक्षण किये जाने के निर्देशों के विपरीत पटना साहेब स्टेशन पर अंतिम निरीक्षण परिचालन अधिकारी के द्वारा दिनांक 14.12.23 को पाया गया।
6	मुजफ्फरपुर स्टेशन पर सामान्यतया शंटिंग आदेश जारी नहीं किया जा रहा है तथा वॉकी-टॉकी सेट उपलब्ध नहीं होने के कारण वॉकी-टॉकी सेट शंटर/शंटमैन को नहीं दिया जाता है ताकि किसी भी आवश्यकता की स्थिति में प्लेटफार्म स्टेशन मास्टर एवं अन्य से संपर्क किया जा सके ।
7	ऐसा पाया गया कि मुजफ्फरपुर स्टेशन पर यार्ड शंटिंग के दौरान शंटिंग स्टाफ द्वारा हाथ झण्डा /हाथ लैम्प का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकी यहाँ अक्सर शंटिंग की जाती है।
8	मुजफ्फरपुर स्टेशन पर आरआरआई भवन में अग्निशामक यंत्र जमीन पर रखे हुए थे, जिसे उपयुक्त स्थान पर लटकाया जाना चाहिए ताकि उपयोग के दौरान ठीक कार्य करे ।
9	समपार संख्या 71/सी/टी/पीएनसी यार्ड में, सड़क की सतह की स्थिति बहुत खराब है और समपार से यातायात की निकासी में देरी होने की संभावना है क्योंकि उत्तर दिशा में एप्रोच सड़क मुख्य मार्ग डायगोनल रूप से जुड़ा है।
10	पटना साहब यार्ड में अवस्थित एल.सी .गेटनंबर 71/C/T के दोनों तरफ रेलवे एक्ट बोर्ड नहीं था एवं बूम पर स्टॉप बोर्ड के दोनों सिरों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव पट्टियां गायब पाया गया।
11	महदेईया स्टेशन पर एफसीटी फोन उपलब्ध है लेकिन पिछले 15 दिनों से खराब है।
12	शक्तिनगर में, स्टेशन संचालन नियमावली के अंग्रेजी पृष्ठों पर 03 अधिकारियों, डिप्टी सीएसटीई/सी/सीपीयू, डीओएम/डीएचएन और डीएसटीई/डीएचएन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन हिंदी पृष्ठों पर केवल 02 अधिकारियों, डीओएम/डीएचएन और डीएसटीई/डीएचएन के हस्ताक्षर पाए गए जबकि नियमानुसार स्टेशन संचालन नियमावली पर सीनियर डीओएम/सीनियर डीएसटीई द्वारा ही हस्ताक्षर किया जाना चाहिए ।
13	करैला रोड स्टेशन पर कर्मचारियों का वर्गीकरण ठीक से नहीं किया हुआ पाया गया ।
14	दिनांक 27.09.24 को 13225 (JYG- DNR) एक्सप्रेस में पीसीपी सेट और ई.एल. बॉक्स उपलब्ध नहीं था। दिनांक 06.09.24 को 15549 के ब्रेक वैन में पीसीपी सेट, रस्सी वाली सीढ़ी , प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, आर्म बैंड और ई.एल. बॉक्स उपलब्ध नहीं था।
15	दिनांक 26.09.2024 को 12352 (RJPB-HWH) एक्सप्रेस की फुट प्लेट के दौरान, यह पाया गया कि अपने निर्धारित स्टॉपेज वाले खुसरुपुर स्टेशन पर इसके 03 कोच प्लेटफॉर्म से बाहर थे।

विशेष रूप से ध्यान दें :

1. सुनिश्चित करें कि गेटमैन में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारी का उचित प्रशिक्षण हुआ हैऔर उसके पास वैद्य सक्षमता प्रमाण पत्र है। (सा.नि. 16.01)
2. सुनिश्चित करें कि स्टेशन मास्टर एवं गेटमैन के बीच संचार काम कर रहा है एवं प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान कर इसका रिकार्ड स्टेशन कार्य नियमावली में वर्णित के अनुसार किया जा रहा है।
3. सुनिश्चित करें कि जब तक गेट सड़क यातायात के लिए खुला रखा जाता है तो दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्री में लाल बत्ती गाड़ी आने की दिशा में लेवेल क्रॉसिंग गेट के दोनों ओर प्रदर्शित की गई है।
4. सुनिश्चित करें कि गाड़ी उलंघन चिन्ह को साफ कर खड़ी हुई है (सा.नि. एवं सहा. नि. 4.56) ।

"मंडलों को सलाह दी जाती है की सर्वसंबंधित को तत्काल वितरित कर कार्यवाही सुनिश्चित करें और उपरोक्त अनियमितताओं/विसंगतियों/विशेषध्यान के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट इस कार्यालय को आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।"

BINAY KUMAR DAS Digitally signed by BINAY KUMAR DAS Date: 2024.10.09 14:59:14 +05'30'

(बी.के.दास)
मुख्य परिचालन प्रबंधक (सा)/पूमरे

सं. ई.सी.आर. /परि.सं./ येलोबुलेटिन/ 87 /505, दिनांक 08.10.2024.

प्रतिलिपि- 1.प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ।
2. मंडल रेल प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू., सोनपुर एवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ।
3. वरि.मं.परि. प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
4. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुरऔरभूली को सूचनार्थ।